

// पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल //

क्रमांक/पुमु/1/रापुरसे/3 / 1170 / 2024
प्रति,

दिनांक 16 / 07 / 2024

समस्त पुलिस इकाईयां
मध्यप्रदेश

विषय:- चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय/निर्माण की सूचना ग्राह्य हेतु नवीन संशोधित प्रपत्र के संबंध में।

---00---

म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 19(2) के अंतर्गत चल/अचल संपत्ति क्रय/विक्रय, भवन निर्माण/मरम्मत की पूर्व सूचना ग्राह्य अथवा अनुमति प्रदाय किये जाने के प्रावधान हैं।


म0प्र0 पुलिस की विभिन्न इकाईयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर चल/अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की अनुमति/सूचना ग्राह्य करने बावत् प्रकरण विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। इकाईयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रपत्र उपलब्ध होने से अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रेषित जानकारी के प्रपत्रों में गिन्नता होने के कारण उनमें प्रस्तुत जानकारी या तो अपूर्ण होती है अथवा आवश्यक बिन्दुओं की जानकारी अंकित न करने से प्रकरण की कमी/पूर्ति के लिये अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है, जिस कारण प्रकरण के निराकरण में अकारण विलंब की स्थिति निर्मित होती है।

म0प्र0 पुलिस के समस्त संवर्गों के पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की सूचना ग्राह्य अथवा अनुमति प्रदाय करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में समरूपता एवं सुविधा की दृष्टि से सरलीकरण हेतु समस्त आवश्यक बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये 03 नवीन संशोधित प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जिनकी प्रतियाँ संलग्न हैं।

भविष्य में निर्धारित प्रपत्रों अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पूर्व अनुमति देने/पूर्व सूचना ग्राह्य करने की कार्यवाही 07 दिवस की समयसीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-

1. अचल संपत्ति क्रय/विक्रय-FORM-A
2. चल संपत्ति क्रय/विक्रय-FORM-B
3. भवन निर्माण-FORM-C



1617124
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(प्रशासन)
हेतु-पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक/पुमु/1/रापुरसे/3 / 2024

दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
3. पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस जिला भोपाल/इंदौर।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक (विसबल/रेल सहित)।
5. समस्त रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक(विसबल/रेल सहित)


सहायक पुलिस महानिरीक्षक(प्रशासन)
हेतु-पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

**म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 19(2) के अंतर्गत
अचल सम्पत्ति क्रय/विक्रय हेतु पूर्व सूचना/पूर्व अनुमति**

1. शासकीय सेवक का पूरा नाम— :
2. पद/वर्तमान पदस्थापना/बैंच नंबर— :
3. स्थापना शाखा यूनिट— :
4. सेवाकाल/नियुक्ति दिनांक— :
5. वर्तमान वेतन एवं ग्रेड—पे— :
6. आवेदन का उद्देश्य— : पूर्व सूचना
(सही पर टिक करें) पूर्व अनुमति (यदि विक्रेता अथवा क्रेता से शासकीय संव्यवहार है तो)

अचल संपत्ति का क्रय/विक्रय

7. क्रय/विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण :-
 - i. क्या संपत्ति क्रय/विक्रय की जा रही है— : क्रय विक्रय
 - ii. संपत्ति क्रय/विक्रय की संभावित तिथि— :
 - iii. संपत्ति के अन्तर्गत जमीन का खसरा नंबर, प्रकार, प्लॉट का साईज आदि— :
 - iv. क्रय/विक्रय की जाने वाली संपत्ति का मूल्य— :
8. संपत्ति क्रेता/विक्रेता का विवरण
 - i. संपत्ति क्रेता/विक्रेता का नाम व पता— :
 - ii. क्या क्रेता/विक्रेता से कोई शासकीय संव्यवहार है— : हाँ नहीं
 - iii. क्या क्रय/विक्रय हेतु अनुबंध कर लिया गया है— : हाँ नहीं (यदि हाँ तो नोटरआईज्ड अनुबंध पत्र संलग्न करें)
9. संपत्ति क्रय करने की राशि का स्रोत:-

	विवरण	संलग्न दस्तावेज पर टिक करें
i. व्यक्तिगत बचत राशि— :		बैंक स्टेटमेन्ट <input type="checkbox"/>
ii. बैंक लोन से प्राप्त राशि— :		बैंक लोन स्वीकृति प्रपत्र <input type="checkbox"/> (मासिक किश्त उल्लेखित हो)
iii. अन्य कोई स्रोत से प्राप्त राशि— :		संबंधित दस्तावेज <input type="checkbox"/>
10. अद्यतन सैलरी स्लिप संलग्न— : हाँ
11. यदि संपत्ति विक्रय की जा रही है तो इसी - : हाँ/नहीं, यदि हाँ तो आदेश संलग्न करें
संपत्ति के क्रय हेतु आवश्यक पूर्व सूचना/पूर्व अनुमति आदेश प्राप्त किया गया था ?
12. अन्य कोई उल्लेखनीय तथ्य— :
13. यदि प्रकरण में पूर्व सूचना नहीं दी गई/पूर्व अनुमति नहीं ली :,
गई तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं रजिस्ट्री की प्रति लगाएँ— : रजिस्ट्री की प्रति

कृपया मुझे उपरोक्तानुसार क्रय/विक्रय करने के लिये पूर्व सूचना की अभिस्वीकृति/पूर्व अनुमति प्रदान करें। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे विश्वास एवं ज्ञान के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

**म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 19(2) के अंतर्गत
भवन निर्माण हेतु पूर्व सूचना/पूर्व अनुमति**

1. शासकीय सेवक का पूरा नाम— :
2. पद/वर्तमान पदस्थापना/बैंच नंबर— :
3. स्थापना शाखा यूनिट— :
4. सेवाकाल/नियुक्ति दिनांक— :
5. वर्तमान वेतन एवं ग्रेड-पे— :
6. आवेदन का उद्देश्य— : पूर्व सूचना
 पूर्व अनुमति (यदि निर्माणकर्ता से शासकीय संव्यवहार है तो)

भवन निर्माण/मरम्मत

7. भवन निर्माण/मरम्मत की जाने वाली संपत्ति का विवरण :-
 - i. क्या भवन का निर्माण/मरम्मत किया जा रहा है :- निर्माण मरम्मत
 - ii. निर्माण/मरम्मत की संभावित तिथि— :
 - iii. निर्माण/मरम्मत के अन्तर्गत जमीन का खसरा नंबर, प्रकार, प्लॉट का साईज आदि— :
 - iv. निर्माण/मरम्मत की लागत— :
8. निर्माणकर्ता/मरम्मतकर्ता का विवरण—
 - i. नाम व पता— :
 - ii. क्या कोई शासकीय संव्यवहार है— : हाँ नहीं
 - iii. क्या अनुबंध कर लिया गया है— : हाँ नहीं (यदि हाँ तो नोटरीज्ड अनुबंध पत्र संलग्न करें)
 - iv. निर्माण/मरम्मत का प्राक्कलन : हाँ नहीं
9. संपत्ति निर्माण/मरम्मत करने की राशि का स्रोत— विवरण संलग्न दस्तावेज पर टिक करें

vii. व्यक्तिगत बचत राशि— :		बैंक स्टेटमेन्ट <input type="checkbox"/>
viii. बैंक लोन से प्राप्त राशि— :		बैंक लोन स्वीकृति प्रपत्र <input type="checkbox"/>
ix. अन्य कोई स्रोत से प्राप्त राशि— :		(मासिक किश्त उल्लेखित हो) संबंधित दस्तावेज <input type="checkbox"/>
10. अद्यतन सैलरी स्लिप संलग्न— : हाँ
11. अन्य कोई उल्लेखनीय तथ्य— :
12. यदि प्रकरण में पूर्व सूचना नहीं दी गई/पूर्व अनुमति नहीं ली :
गई तो उसका कारण स्पष्ट करें। :

कृपया मुझे उपरोक्तानुसार मकान निर्माण/मरम्मत करने के लिये पूर्व सूचना की अभिस्वीकृति/पूर्व अनुमति प्रदान करें। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे विश्वास एवं ज्ञान के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर आवेदक

म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 19(2) के अंतर्गत
चल/अचल सम्पत्ति क्रय/विक्रय/मकान निर्माण हेतु पूर्व सूचना/पूर्व अनुमति

प्रमाण पत्र - 1

प्रमाणित किया जाता है कि मैं आवेदनकर्ता द्वारा श्री/श्रीमती
..... से/को सम्पत्ति क्रय/विक्रय/निर्माण हेतु अनुबंध किया गया है. ये इस सम्पत्ति को
क्रय/विक्रय/निर्माण के लिये अधिकृत क्रेता/विक्रेता/डीलर हैं।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

शासकीय सेवक का पूरा नाम /पद

पदस्थापना

प्रमाण पत्र - 2

प्रमाणित किया जाता है कि मुझ आवेदनकर्ता श्री/श्रीमती द्वारा
श्री/श्रीमती से/को सम्पत्ति क्रय/विक्रय/निर्माण हेतु अनुबंध
किया गया है. उनसे मेरा कोई शासकीय संव्यवहार नहीं है। (यदि है तो विवरण दें
.....)

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

शासकीय सेवक का पूरा नाम /पद

पदस्थापना